FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

त्रिलोचन सिंह बनाम भूपेन्द्र सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 05 सन् 2024

जी.सी.एम.एस नम्बर 2024/16

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2024	प्रार्थीगण त्रिलोचन सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 टी जोधेवाला मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री मोहित गोयल के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 2 टी के खाता संख्या 25/22 के मुरब्बा नम्बर 33, 46 की कुल 7.650 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे। [signature] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	
16/5/24	आज यह पत्रावली कैवियट मे वर्णित भूमि के संबध मे वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी मे ली गई। वादगत भूमि के संबध मे प्रस्तुत वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र कैवियट कर्ता अधिवक्ता को सुना गया। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। पत्रावली इसी स्तर पर निर्णित की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	[signature] [signature] पक्षकारान [signature] 16/5/24